

104, 326, 335, 336, 100, 35, 92, 91, 1401, 47, 72, 70, 27, 26, 22, 20, 159 and 162 of village Sohanpur.

No. 2501-T/IX-A 380-T-54

October 14, 1971

East.— Bounded by and inclusive of plot nos. 199, 192, 193, 194 and 196 of village Bletpur Rani and plot nos. 636, 638, 639, 629, 628, 617, 616, 711, 712, 713, 721, 720, 719, 605, 604, 603, 600, 596, 593, 439, 438 and 437 of village Sohanpur.

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the U. P. Town Areas Act, 1914 (U. P. Act no. 11 of 1914), the Governor is pleased to declare Bazpur comprising of villages Chakarapur, Maina Islamnagar, Mundia, Rastuar and Mundia Kalan in the district of Naini Tal, to be a town area with effect from October 25, 1971, which shall be known as Town Area Bazpur, for the purposes of the said Act, and under clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the said Act to define the limits of the said town area as shown in the Schedule below :

West.— Bounded by and inclusive of plot nos. 253, 254, 255, 260, 263, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 281, 282, 283, 285 and 286 of village Rampur Litiha and plot nos. 172, 173, 174, 175, 180, 155 and 264 of village Lakhana alias Domdih.

Schedule

North.—Plot nos. 107, 122, 123, 224, 126 and northern boundary of plot no. 319 of village Maina Islamnagar.

South.—The Malaria Road passing through village Mundia Pastaur and plot no. 287 of the 'Rasta' going to the 'Abadi' of village Mundia Pastaur.

East.—Chakarapur minor going through village Chakarapur and Mundia Pastaur.

West.—The 'Tucca' road going to sugar mill in the 'Abadi' of village Mundia Pastaur and western boundary plot nos. 321, 329, 337 of village Islamnagar.

सं० २५०१-टी/६-ए-३३०-टी-५४-यू०पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ (यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४) की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ए) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल, जिला नैनीताल के बाजपुर जिसमें ग्राम चकरपुर, मैना इस्लामनगर, मंडिया, पस्तौर तथा मुन्डिया कला शामिल हैं को उक्त ऐक्ट के प्रयोजनार्थ दिनांक २५ अक्टूबर, १९७१ से टाउन एरिया घोषित करते हैं, जो टाउन एरिया कच्छा कहलायेगा और उक्त ऐक्ट की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (बी) के अधीन उक्त टाउन एरिया की सीमा भी जैसा कि नीचे अनुसूची में दिया गया है, निर्धारित करते हैं :-

सं० २५०१-टी/६-ए-३३०-टी-५४-यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ (यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४) की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ए) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल जिला नैनीताल के ग्राम कच्छा को उक्त ऐक्ट के प्रयोजनार्थ दिनांक २५ अक्टूबर, १९७१ से टाउन एरिया घोषित करते हैं, जो टाउन एरिया कच्छा कहलायेगा और उक्त ऐक्ट की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (बी) के अधीन उक्त टाउन एरिया की सीमा भी जैसा कि नीचे अनुसूची में दिया गया है, निर्धारित करते हैं :-

अनुसूची

उत्तर—ग्राम मैना इस्लामनगर के प्लॉट संख्या १०७, १२२, १२३, २२४, १२६ तथा ३१६ की उत्तरी सीमा ।

दक्षिण—ग्राम मुन्डिया पस्तौर में होकर जाने वाली मलेरिया रोड व ग्राम मुन्डिया पस्तौर की आबादी को जाने वाला रास्ता प्लॉट संख्या २८७ ।

पूर्व—ग्राम चकरपुर व मुन्डिया पस्तौर से होकर जाने वाली चकरपुर माइनर ।

पश्चिम—ग्राम मुन्डिया पस्तौर की आबादी में चीनी मिल को जाने वाली सड़क पुख्त तथा ग्राम मैना इस्लामनगर के प्लॉट संख्या ३२१, ३२६, ३३७ की पश्चिमी सीमा ।

उत्तर—सरहद ग्राम बन्डिया ।

दक्षिण—सरहद ग्राम सिरौली कला ।

पूर्व—सरहद ग्राम किशनपुर तथा सरहद ग्राम सोनेरा ।

पश्चिम—सरहद ग्राम बन्डिया के प्लॉट संख्या ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२ तथा सरहद ग्राम कच्छा के प्लॉट संख्या २२५ व २२६ ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 2501-T IX-A 380-T-54, dated October 14, 1971 :

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 2501-T IX-A 380-T-54, dated October 14, 1971